उदयपुरा, जिला–रायसेन (म0प्र0)

05/11/2022

राज्य द्वारा एडीपीओ अनुपस्थित।

आवेदक/सपुर्ददार वृद्धाराम आदिवासी सहित सुश्री कविता रजक अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी की प्रतीक्षा एवं आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र उदयपुरा से अपराध कमांक 351/2022 अंतर्गत धारा 13 जुआ एक्ट की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त है।

इस आदेश के माध्यम से आवेदक वुद्धाराम पिता सुखराम आदिवासी, निवासी– ग्राम धामनपानी तहसील सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र संक्षेप में यह है कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की मोटरसाईकल कमांक एम.पी.–38 एम.क्यू. 4054 को थाना उदयपुरा द्वारा जप्त किया गया है। जप्तशुदा वाहन की आवेदक को निजी कार्य संपादन हेतु आवश्यकता है। वाहन

बुद्ध राम

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

के असुरक्षित अवस्था में जप्त रहने से उसमें खराबी आने की संभावना है। आवेदक को उक्त वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की दशा में वह उसको अंतरण नहीं करेगा तथा न्यायालय की समस्त शर्तो का पालन करने तत्पर है। अतः जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी में प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन के पक्ष में सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि थाना उदयपुरा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक–351/22 अंतर्गत धारा 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की जांच के दौरान अपराध घटित होने के आधार पर वाहन मोटरसाईकल एम.पी.–38 एम.क्यू. 4054 को जप्त किया जा चुका है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के अवलोकन से प्रश्नगत वाहन आवेदक वुद्धाराम के स्वामित्व का होना प्रतीत होता है एवं प्रस्तुत बीमा की प्रति अनुसार उक्त वाहन दिनांक 27/05/2026 तक बीमित होना परिलक्षित होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुंदरलाल अंबाभाई देसाई वि0 गुजरात राज्य आदि ए0आई0आर0–2003 एस0सी0 638*** में अभिनिर्धरित किया गया था कि जप्तशुदा वाहन के संबंध में शीघ्र से शीघ्र अंतरिम अभिरक्षा पर विचार किया जाना चाहिये एवं जप्तशुदा वाहन का अधिक समय तक आरक्षी केन्द्र में रखे रहने देने का कोई औचित्य नही है। प्रकरण में निराकरण में समय लगने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में न दिये जाने की दशा में उसके खराब होने की संभावना है।

अतः ऐसी स्थिति में आवेदक वुद्धाराम वाहन का प्रथम दृष्ट्या उचित अभिधारी दर्शित होने से उक्त वाहन अंतरिम अभिरक्षा पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मामले में संपहरण की कार्यवाही के प्रयोजन भी दोषसिद्धी की दशा में आकृषित होते हैं।

परिणामस्वरूप आवेदक वुद्धाराम का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि आवेदक वुद्धाराम द्वारा 1,00,000/–(एक लाख) रूपए का सुपुर्दगीनामा तथा 1,00,000/– (एक लाख) रू0 की सक्षम प्रतिभूति इस शर्त के अधीन की संपहरण की कार्यवाही के आदेश किए जाने पर प्रश्नगत संपत्ति के अविलंब आदेशानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा तथा निम्न शर्तो के अधीन चर्तुरकोणीय छायाचित्र

Order Sheet [Contd]

Case No. .....of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

लेकर दिया जावे कि—

1. आवेदक इस न्यायालय की अनुमति के बिना प्रश्नगत वाहन अंतरण, विक्रय या तृतीय पक्ष का हित प्रश्नगत वाहन में सृजित नहीं करेगा।
2. आवेदक संपत्ति को सुरक्षित एवं उचित देखरेख में रखेगा।
3. आवेदक न्यायालय द्वारा किसी भी प्रक्रम पर आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर उक्त संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
4. संपहण संबंधित आदेश किये जाने पर अविलंब प्रश्नगत वाहन को न्यायलय में प्रस्तुत करेगा।
5. प्रश्नगत संपत्ति पर किसी और व्यक्ति का स्वामित्व या आधिपत्य संबंधित दावा किए जाने की स्थिति में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रश्नगत संपत्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा संबंधित सुसंगत आदेश का पालन करने हेतु तत्पर रहेगा।
6. आवेदक सक्षम थाना प्रभारी की उपस्थिति में प्रश्नगत वाहन का इस रीति से छायाचित्र निर्मित कराएगा कि उक्त वाहन का पंजीयन क्रमांक और चैचिस क्रमांक स्वमेव दर्शित हो, ऐसे छायाचित्र एवं सम्पूर्ण कार्यवाही का पंचनामा अभिलेख में पृथक से संलग्न किया जावेगा। (छायाचित्र इलेक्ट्रानिक दस्तावेज का उत्सर्जन है)। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) की अपेक्षा अनुसार भी प्रमाण पत्र निर्मित किया जावे।
7. वाहन स्वामी अन्वेषण के अनुक्रम अपना पूर्ण सहयोग प्रदत्त करेगा।

उपरोक्तानुसार सुपुर्दनामा एवं सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर थाना प्रभारी उदयपुरा को जप्तशुदा वाहन मोटसाईकल क्रमांक एम.पी.–38 एम.क्यू. 4054 को आवेदक वुद्धाराम आदिवासी को विधिवत सुपुर्दगी पर प्रदत्त किये जाने हेतु आदेश प्रेषित किया जावे। प्रश्नगत वाहन का छायाचित्र लिए जाने के उपरांत ही आवेदक को सुपुर्द किए जावें तथा छायाचित्र इस न्यायालय को प्रेषित किए जावें। उक्त आशय की टीप सुपुर्दगी

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

आदेश पर अंकित की जावे।

आदेश अपलोड किया जावे।

आदेश की एक प्रतिलिपि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

केस डायरी वापस की जावे।

पत्रावली का परिणाम सी.आई.एस/पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो।

(वरूण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उदयपुरा, जिला–रायसेन (म0प्र0)

पुनश्चः–

आदेशानुसार आवेदक वुद्धाराम पिता सुखराम आदिवासी, निवासी– ग्राम धामनपानी तहसील सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. द्वारा जप्तशुदा मोटरसाईकिल एम.पी.–38 एम.क्यू. 4054 के संबंध में 1,00,000/–(एक लाख) रूपए का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया तथा जमानतदार हेमराज सिंह पिता केहर सिंह राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी– ग्राम बांसखेड़ा तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र. द्वारा सुपुर्ददार की ओर से 1,00,000/–(एक लाख) रुपये की सक्षम प्रतिभूति शर्तो के अधीन प्रस्तुत की। सुपुर्दगीदार व जमानतदार की पहचान सुश्री कविता रजक अधिवक्ता द्वारा की गई, जो तस्दीक उपरांत स्वीकार की गई।

जप्तशुदा वाहन को रिलीज किए जाने के संबंध में ज्ञापन जारी किया जावे, जिसमें विनिर्दिष्ट रूप से आदेश में उल्लेखित समस्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने उपरांत जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने के संबंध में थाना प्रभारी उदयपुरा को लेख किया जावे एवं जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.38 एम. क्यू. 4054 आवेदक वुद्धाराम को लौटाये जाने के संबंध में सुपुर्दगीनामा आदेश, आदेश में वर्णित निर्देशों के साथ जारी किया जावे।

पत्रावली का परिणाम सी.आई.एस/पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो।

(वरूण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उदयपुरा, जिला–रायसेन (म0प्र0)